

बिहार सरकार
उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक

विषय:- औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, २०११ के अंतर्गत सर्वश्री कुमार इन्फ्राट्रेड इन्टरप्राइजेज प्रा० लि०, पटना को रू० २,००,२६,३९८.०० (दो करोड़ छब्बीस हजार तीन सौ अठानबे रूपए) की अनुदान के राशि की निकासी एवं भुगतान की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि औद्योगिक प्रो० नीति, २०११ के अंतर्गत राज्य स्तरीय समिति के द्वारा दिनांक-१६.०७.२०१८ की बैठक में लिए गए निर्णय तदनुसार बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक-१४०७ दिनांक-२१.०८.२०१८ के आलोक में सर्वश्री कुमार इन्फ्राट्रेड इन्टरप्राइजेज प्रा० लि०, पटना को रू० २,००,२६,३९८.०० (दो करोड़ छब्बीस हजार तीन सौ अठानबे रूपए) पूंजीगत अनुदान की स्वीकृति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है:-

(i) ईकाई अनुदान प्राप्ति के पश्चात् ५ वर्षों तक कार्यरत रहेगी। यदि ५ वर्षों के अंदर ईकाई बिना किसी औचित्य के बंद होती है तो भुगतान की गई राशि सूद समेत ईकाई से वसूल की जाएगी।

(ii) ईकाई द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों/ प्रमाण-पत्रों/ अभिलेखों के भविष्य में गलत पाए जाने एवं अनुदान की गणना में त्रुटि पाए जाने पर अनुदान की राशि वसूल कर ली जाएगी।

२. उक्त राशि का व्यय वहन मांग-२३ के अंतर्गत मुख्य शीर्ष-२८५२- उद्योग, उपमुख्य शीर्ष-८०- सामान्य, लघु शीर्ष-१०२- औद्योगिक उत्पादकता, उपशीर्ष-०१६०-प्री-प्रोडक्शन एवं पोस्ट प्रोडक्शन सुविधाओं की योजना, विपत्र कोड - २३-२८५२८०१०२०१६० विषय शीर्ष ०१६०.३३.०१ सब्सिडी मद में राज्यादेश संख्या-२०६०, दिनांक-११.०६.१८ द्वारा उपबंधित राशि एवं आवंटनादेश संख्या ५/DI-B(Allotment)-१६/२०१८, Order No.- १४८० दिनांक-१३.०६.१८ के द्वारा आवंटित राशि से विकलित होगी।

३. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, उद्योग निदेशक, बिहार, पटना होंगे।

४. इस राशि की निकासी नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से होगी।

कृ०प०उ०

5. इस राशि की निकासी "पूर्व प्राप्ति रसीद" पर कोषागार फार्म संख्या 25 पर की जाएगी।

6. इस राशि का भुगतान सर्वश्री कुमार इन्फ्राट्रेड इन्टरप्राइजेज प्रा0 लि0, पटना को केनरा बैंक, बुद्ध मार्ग, पटना के खाता संख्या-1434201001423, IFS Code-CNRB0001434 में RTGS/NEFT/Demand Draft के माध्यम से की जाएगी।

ह0/-

उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-

पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना


ज्ञापांक- 3323

पटना, दिनांक 27.9.18

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग, बिहार, पटना / योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- निदेशक, तकनीकी विकास निदेशालय, बिहार, पटना / मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, बिहार, पटना / महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- लेखा शाखा, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को दो प्रतियों में / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-02, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना / योजना शाखा, प्रशाखा-01 (सरकार) / आई0 टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना / सर्वश्री कुमार इन्फ्राट्रेड इन्टरप्राइजेज प्रा0 लि0, एकजीबिशन रोड, नियर अप्सरा सीनेमा हॉल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना